भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6286

दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

.....

अशोधित औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज को नदियों में बहाना

6286. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश भर में, विशेषकर महाराष्ट्र में अशोधित औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज को नदियों में बहाए जाने से रोकने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में नदी के प्रदूषित जल के कारण स्थानीय समुदायों के समक्ष आ रहे स्वास्थ्य संबंधी खतरों का आकलन करने के लिए हाल ही में कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उन संवेदनशील क्षेत्रों को राष्ट्रीय नदी आपातकाल क्षेत्र घोषित करने का विचार है जहां प्रदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रव्यापी 'जनभागीदारी' पहल के अंतर्गत नदी पुनरुद्धार के प्रयासों में स्थानीय समुदायों, धार्मिक संस्थानों और स्वयंसेवकों को शामिल करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): नदियों की सफ़ाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नदियों अथवा अन्य जल निकायों में निर्वहन से पहले, निर्धारित मानकों के अनुसार सीवेज का उचित उपचार सुनिश्चित करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। औद्योगिक बहि:स्रावों के निर्वहन की निगरानी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के तहत सामान्य निर्वहन मानक और उद्योग-विशिष्ट अपशिष्ट निर्वहन मानक अधिसूचित किए हैं, जिनका अनुपालन औद्योगिक इकाइयों, सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) और/ अथवा सामान्य बहि:स्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) द्वारा जल निकायों में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किया जाना है। अनुपालन न करने की स्थिति में, नियामक निकायों द्वारा संबंधित वैधानिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

जल शक्ति मंत्रालय, गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिए 'नमामि गंगे' की केंद्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से तथा अन्य नदियों के लिए 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना' (एनआरसीपी) की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से, देश की नदियों के चिन्हित खंडों में प्रदूषण कम करने के लिए हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

एनआरसीपी के अंतर्गत, महाराष्ट्र में कृष्णा, पंचगंगा, गोदावरी और मूला-मुथा नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए कराड में 28 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी), सांगली में 27 एमएलडी, कोल्हापुर में 78 एमएलडी, नांदेड़ में 26 एमएलडी, नासिक में 100 एमएलडी, त्र्यंबकेश्वर में 1 एमएलडी और पुणे में 74 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी बनाए गए हैं।

(ख): नदी जल के अलग-अलग इस्तेमाल करने के उद्देश्य से, सीपीसीबी नदी के जल को उसके इस्तेमाल के आधार पर अलग-अलग गुणवत्ता मापदंड तय करता है और उसे अलग-अलग श्रेणी में बांटता है। पेयजल के लिए, जल को कीटाणु-मुक्त करने के बाद (बिना किसी पारंपरिक उपचार के) श्रेणी 'क' के मानकों को पूरा करना, और ऑउटडोर बाथिंग के लिए श्रेणी 'ख' के मानकों को पूरा करना आवश्यक है। जल शक्ति मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, नदी के संदूषित जल के कारण स्थानीय समुदायों को होने वाले स्वास्थ्य से जुड़े खतरों का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जा रहा है।

(ग): राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत, सीपीसीबी विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के सहयोग से, 4922 निगरानी स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से नदियों और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। इनमें से, 2265 स्टेशन पूरे देश में नदियों पर स्थित हैं, जिनमें महाराष्ट्र की नदियों पर 182 स्थान शामिल हैं। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) सांद्रता के रूप में मापे गए जैविक भार के आधार पर, जो स्थान/नदी खंड आउटडोर बाथिंग के लिए जल गुणवत्ता के प्राथमिक मानदंडों को पूरा नहीं करते, उन्हें प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) के रूप में चिन्हित किया जाता है: जैसे प्राथमिकता-I (बीओडी > 30.0 मिलीग्राम प्रति लीटर (मिलीग्राम/लीटर)), प्राथमिकता-II (20.1-30.0 मिलीग्राम/लीटर), प्राथमिकता-III (10.1-20.0 मिलीग्राम/लीटर), प्राथमिकता-IV (6.1-10.0 मिलीग्राम/लीटर) और प्राथमिकता-V (3.1-6.0 मिलीग्राम/लीटर)। सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2025 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट https://cpcb.nic.in/reports-3/ पर उपलब्ध है। महाराष्ट्र में, वर्ष 2025 में 54 पीआरएस की पहचान की गई थी।

(घ): एनआरसीपी और नमामि गंगे के अंतर्गत, जागरूकता अभियानों/प्रकाशनों, पैम्फलेटों, वीडियो फिल्मों, यात्राओं, नारे, चित्रकला/निबंध प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से नदियों के महत्व, कार्यों और पारिस्थितिक सेवाओं के बारे में स्थानीय लोगों, छात्रों और हितधारकों के बीच शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने सहित विभिन्न संरक्षण/पुनरुद्धार गतिविधियों के संचालन के लिए प्रतिभागी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'जन गंगा' नमामि गंगे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो जन-भागीदारी के माध्यम से नदी संरक्षण में बदलाव लाने के लिए जन-जागरूकता और सामुदायिक स्वामित्व के निर्माण पर केंद्रित है। गंगा बेसिन के 5 राज्यों में, प्रदूषण निवारण की निगरानी करने और ज़िला स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 139 ज़िला गंगा समितियों (डीजीसी) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, गंगा विचार मंच, गंगा/यमुना टास्क फोर्स, गंगा प्रहरी, गंगा सेवा दूत आदि सहित स्वयंसेवी समूहों को स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता अभियान तथा अन्य आईईसी गतिविधियों के आयोजन के लिए लगाया गया है।

वर्ष 2021 में, 'जल शक्ति अभियान (जेएसए): कैच द रेन' का विस्तार पूरे देश में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा जल संचयन, जल निकायों की सूची तैयार करना और पुनरूद्धार करना, जल शक्ति केंद्रों की स्थापना, वृक्षारोपण गतिविधियों और बड़े पैमाने पर जागरूकता बढ़ाना था। 'जेएसए: कैच द रेन' को और सुदृढ़ बनाने के लिए, दिनांक 06 सितंबर 2024 को सूरत में 'जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल शुरू की गई। यह कार्यक्रम ज़मीनी स्तर पर जल संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी और सामूहिक प्रयासों पर बल देता है।
